Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

''दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में महिलाओं की वैधानिक प्रस्थिति एवं लोकमत''

रीना यादव
शोधार्थी, विधि संकाय,
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,
बाँसवाड़ा

डॉ. राकेश डामोर
सहायक आचार्य
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,
बाँसवाडा

राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति क्षेत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ उस क्षेत्र से है जहां जनजाति जनसंख्या की बहुलता है। दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित है।

''जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग की अधिसूचना 19 मई, 2018 के अनुसार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित 8 जिलों की 31 तहसीलों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया हैं। जिसमें जनजातियों का सघन आवास हैं। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र में जनसंख्या 64.63 लाख है। जिसमें जनजाति का सघन आवास है। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 45–51 लाख है। जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र की सम्मिलित 8 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ सम्पूर्ण जिले उदयपुर की 8 पूर्ण तहसील गिर्वा के 252 तहसील वल्लभनगर के 22 व तहसील मावली के 4 गांव, सिरोही जिले की आबूरोड़ तहसील एवं पिंडवाड़ा तहसील के 51 गांव राजसमन्द जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 व कुशलगढ़ तहसील के 16 गांव, चितौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील के 5 गांव तथा पाली जिले की बाली तहसील के 15 गांव सम्मिलित है। इस क्षेत्र में आवासित जनजातियों में भील–मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है।''[1]

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के अध्ययन में इस क्षेत्र विशेष में रहने वाली महिलाओं का वैधानिक स्थिति का अनेक क्रियाकलापों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

---

[1] tad.rajasthan.gov.in

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

जनजाति संस्कृति भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अनमोल विरासत है। जनजाति जिसकी एक समान संस्कृति परंपराए, रीति–रिवाज, कला, धार्मिक विश्वास, लोक संस्कृति, मूल्यों आदि महत्त्व होता है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से जनजातियों की सघन बसावट है। साथ ही संविधान की पांचवी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आता है।

दक्षिणी राजस्थान जनजातीय क्षेत्र में जनजाति वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों के लोग भी रहते है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र लेने के कारण यहां विकास तुलनात्मक रूप से अन्य क्षेत्रों से कम हुआ है। इस क्षेत्र विशेष में महिला अत्याचार, शोषण, अशिक्षा, महिला हिंसा, लिंग, भेद, शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना जैसे कुत्सीत कार्यों की अधिकता है। इस क्षेत्र विशेष में महिलाओं के कानूनों उनके हितों का तथा सुधार एवं विकास का अध्ययन आवश्यक है।

''मानव समाज में प्रस्थिति एक ऐसी संकल्पना है, जो संरचनात्मक दृष्टि से सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है। इसलिए इस संकल्पना का मानवशास्त्रीय पद्धति की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना मानते है। आदिवासी समाज में नारी की विशिष्ट प्रस्थिति है और नारी की अन्य समाज में भी विशिष्ट प्रस्थिति है।''[2]

मानव समाज में महिलाओं की प्रस्थिति समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में निर्धारित मानी जाती है। महिलाओं की स्थिति का निर्धारण करने में उसकी वैधानिक प्रस्थिति, सामाजिक सहभागिता, कार्य के अवसर आदि का महत्वपूर्ण आधार होता है।

महिलाऐं किसी भी राज्य, क्षेत्र या देश की जननांकिय सरंचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रो में स्पष्ट भागीदारी एवं उपस्थिति आवश्यक है।

''सोवियत नेता मिसाइल गोर्वाचॉफ का 23 जून 1987 को मास्कों में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन' को संबोधित करते हुए यह कथन कहा कि कितना

---

[2] रस्तोगी, डॉ. अलका, ''आदिवासी सामाजिक संरचना एवं महिलाओं की प्रस्थिति'', हिंमाशु पब्लिकेशन्स, 2005, पृ. 62

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

महत्वपूर्ण है कि 'रोटी, किताब और स्त्री जीवन के तीन अनमोल रत्न है। रोटी हमें जीवनदान देती है। किबातें, पीढ़ियों को जोड़ती है। तथा महिलाऐं हमारे जीवन सूत्र को बांध कर खने में अहम भूमिका निभाती है। इनमें से किसी एक के बिना भी जिंदगी बेमानी हो जाती है।''[3]

महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे समाज, परिवार की धूरी होती है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने महिलाओं के संबंध में कहा है कि ''महिलाओं की स्थिति ही देश के स्वरूप को निश्चित करती है।''

विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। जो समाज में पुरुषों के समान ही अपना अस्तित्व रखती है। महिलाओं एवं पुरुषा की परस्पर सहभागिता एवं समानता व साझेदारी अत्यन्त आवश्यक है। भारत में प्रारम्भिक काल से ही महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की जानी जाती है। वे उपयोग की वस्तु के रूप में ही शोषित होती रही है एवं उन पर अत्याचार हुए है।

''सभ्य समाज की किसी भी परिकल्पना में मानवीय गरिमा सामाजिक न्याय एवं समता के आदर्श पथिक आस्थाओं से निश्चय ही वरीय है। महिला अधिकारों का प्रश्न उक्त आदर्शों का पारदर्शी मापदंड है।''[4]

किसी सभ्य समाज की परिकल्पना में महिला अधिकारों का होना आवश्यक हैं। भारतीय संविधान में महिलाओ के समानता के मौलिक अधिकार बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेद के प्रदान करता है। भारतीय संविधान स्त्रियों को बराबरी का अधिकार देता है। भारतीय संविधान देश में की सभी महिलाओं को सामाजिक अवधारणा को आत्मसात् करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रावधान करता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, बराबरी एवं सशक्तीकरण हेतु भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 14, 15(3), 16, 19, 21, 23, 24, 39, 42, 51,

---

3 रावत ज्ञानेन्द्र : ''औरत एक रागाजशारत्रीय अध्ययन'' विश्वभारतीय पब्लिकेशन्रा, नई दिल्ली, 2006, पृ. सं. 111

4 प्रो. कौशिक आशा : ''मानवाधिकार और राज्य बदलते संदर्भ'', उभरते आयाम, पोइन्टर पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2010 पृ. सं. 190

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

243(घ)(न), 325, 326, 330 तथा 332 के तहत प्राप्त अधिकार महिलाओं को विधिक रूप से सशक्त बनाते है।

महिला चाहे जनजाति वर्ग से हो अथवा सामान्य वर्ग की महिला हो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार सभी महिलाओं के लिए एक समान होंगे।

''मेनका गांधी बनान भारत संघ''[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों के उद्देश्य पर कहा कि मूल अधिकारों का गहन स्त्रोत स्वतंत्रता का संघर्ष हैं। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों की गरिमा का संरक्षण करना है। और उनके व्यक्तित्व का विकास करता है।

महिलाओं का संरक्षण करना भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय संविधान की सभी जातियों एवं जनजातियों सहित समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है।

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में भील, मीणा, गरासिया तथा डामोर आदि प्रमुख जनजातियां निवास करती है। भारतवर्ष की महिलाओं के साथ–साथ दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में महिलाओं हेतु कार्यक्रम नीतियां अभियान आदि चलाए गए, जिनका निश्चय ही कुछ परिवर्तन हुआ।

89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338(क) जोड़कर अधिनियम जनजातियों के लिए पृथक से राष्ट्रीय अनूसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत (धारा–3, धारा–4 तथा धारा–7) अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति को उसकी भूमिया परिसर से बेदखन करना, पानी भरने स रोकना, अपमानित करना, बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करना, मताधिकार आदि से रोकना से सुरक्षित करता है।

---

[5] 1978, SCC 248

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

जनजातिय समाज में संपूर्ण विकास हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरों पर प्रयास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जनजातीय विकास जिसमें, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक तथा रोजगार के अवसर प्रदान जैसे विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

जनजाति क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी स्थिति विचारणीय थो। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ पृथक आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास संचालन, छात्रवृतियाँ, उच्च शिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रतिभावान छात्राओं स्कुटी वितरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है।

73वां–74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के द्वारा महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत हो गया है। आज जनजति महिला, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच के रूप में सफलतापूर्वक जनप्रतिनिधित्व कर रही है।

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ–साथ जनजाति वर्ग की महिलाऐं भी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में स्त्रियां निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं रही है। जनजाति महिलाऐं परिवार में संपति क्रय करने, बच्चों की शिक्षा, भूमि क्रय–विक्रय संबंधी निर्णय में महिला अपनी राय रखने लगी है। वे स्वयं नगर के बाजार मे वस्तुओं का क्रय–विक्रय करने में तार्किकता दर्शा रही ह। महिलाऐं नगरीय सम्पर्क होने में आधुनिकता तथा आवश्यकता की नवीन वस्तुओं का प्रयोग करने लगी है। वे कृषि कार्य के साथ–साथ नगरीय आर्थिक कार्यकलापों में सृजनात्मक से सफलतापूर्वक जुड़ रही है। दक्षिणी राजस्थान के जनजाति वर्ग की महिलाऐं पूर्व की तुलना में तथा अन्य समाज की महिलावर्ग में भी स्थिति उच्चतर हुई है।

एम.बी.रामामूर्ति के अनुसार ''किसी भी समाज में महिला की प्रस्थिति निर्धारण के लिए जिन पहलुओं को बताया, वे उसके शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समाज का सांस्कृतिक स्तर, समानता के आधार

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

पर निर्मित पति–पत्नी के सम्बन्ध, महिला को अपनी पसंद का पति चुनने का अधिकार, पारिवारिक संपति जैसे – भवन और भूमि को बेचने खरीदने का अधिकार, विवाह–विच्छेद होने के पश्चात् जीवन निर्वाह राशि पाने का अधिकार इत्यादि मुख्य है।''[6]

महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं वैधानिक प्रस्थिति महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में महिलाऐं परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। महिलाऐं आज संघर्ष के दौर से गुजर रहो है। अतः समाज के प्रत्येक्ष क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूलता का सामना करना पड रहा है। उनकी स्वतंत्रता को सीमित, उत्साह को सीमित करने का प्रयास भी देखने मिलता है।

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में आखातीज के अबुझ सावों में बड़ी संख्या में बाल विवाह कर दिया जाना पुरुष एवं कन्या दोनों के लिए हानिप्रद है।

दापा प्रथा

इस प्रथा में विवाह में कन्या मूल्य प्रथा को दर्शाता है। जनजातीय समाज में स्त्रियों को सम्पति पक्ष को दर्शाता है। दापा प्रथा में कन्या को सम्पति पक्ष देखने पर कन्या जन्म को संकट उत्पन्न नहीं करता हैं कन्या को कीमत समान प्रतीत होने से दापा प्रथा को त्याग दिया जाना चाहिए।

डायन प्रथा

जनजाति क्षेत्र में महिलाओं डायन की संज्ञा देकर गांव से निकाला जाना अथवा उन्हें शारीरिक प्रताड़ना से मार डालने की घटनाऐं घटित होती रहती है। जो महिला शोषण एवं प्रताड़ना को बढावा देती है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 को 26 जनवरी 2016 को राज्य में लागू किया गया है।

नाता प्रथा

[6] Rammurti, M.V, "In Indian and Women" Strilling Publishers, New Delhi, Pg. 12-14

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:4(5), April: 2023
Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 2nd April 2023
Publication Date:10th May 2023
Publisher: Sucharitha Publication, India
Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

DOI: http://ijmer.in.doi./2023/12.04.99
www.ijmer.in

नाता प्रथा जनजाति क्षेत्रा में महिलाओं को अपमानजनक एवं अवसादपूर्ण विवाह स्थितियों से निकलने की अनुमति देता है। 'नाता' शब्द का अर्थ 'संबंध' से है। जिसमें किसी औपचारिक विवाह समारोह की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु अब 'नाता प्रथा' नाकारात्मक रूप से बढ़ रही है। जिसने महिला के साथ रहने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है।

नाता प्रथा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है। यह विधवा पुनर्विवाह का अधिकार देती है परन्तु वार्तमान में इस प्रथा में वैसे को भागीदारी हो रही है। इस प्रथा को रोकने हेतु कानून होना चाहिए।

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में महिलाओं की वैधानिक प्रस्थिति एवं लोकमत के संबंध में निष्कर्ष कहा जा सकता है कि –

- महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों के बावजूद अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित है।
- पितृप्रधान समाज की धारणा से महिलाऐं किसी रूप में पीड़ित एवं शोषित हो रही है।
- समाज में संतानविहीन महिला को कई प्रकार के लांछन लगाकर प्रताड़ित किया जाता हैं।
- डायन प्रथा जनजाति समाज में प्रचलित कुप्रथा जो गांव में आज भी प्रचलित है। जिससे महिला का शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है।

दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में समाज में महिला को एक वस्तु के रूप में देखा जाना पूर्ण सत्य नहीं है बल्कि नारी स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। आगे बढ़ रही है। स्वतंत्र भारत में जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं के समस्त भेदभावो वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है तथा उन्हें अन्य मनुष्यो के भांति अधिकार प्रदान किए गए है। महिलाओं की वैधानिक प्रस्थिति को और अधिक सुदृढ़ एवं धरातल पर कारगर करने के लिए शहरी महिला हो अथवा ग्रामीण उन्हें अपने अधिकारो के लिए शिक्षित एवं जागरूक होना होगा। सभी वैधानिक अधिकारों की सार्थकता होगी।